न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 105 /2016

1. बोदया उम्र 65 वर्ष पुत्र केशो
2. सुमरतया उम्र 56 वर्ष पुत्र केशो
3. कैलाश उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व0 रामजीलाल
4. बाबूलाल उम्र 32 वर्ष पुत्र स्व0 रामजीलाल
5. शिवदेवी उम्र 98 वर्ष पत्नी स्व0 रामजीलाल
   जाति मीना, निवासी मालपुर तहसील भुसावर जिला भतरपुर

.....अपीलान्टान

बनाम

1. हरिओम उम्र 26 वर्ष पुत्र स्व0 ख्याली
2. ओमप्रकाश उम्र 20 वर्ष पुत्र स्व0 ख्याली
   जाति मीना निवासी ग्राम मालपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
3. जलवाई उम्र 55 वर्ष पत्नी श्री रामधन जाति मीना निवासी ग्राम मालपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 03.06.2016 तहसीलदार भुसावर बाबत इन्तकाल नम्बर 677 वाकै ग्राम मालपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

उपस्थित :–
1–श्री महाराजसिंह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित
3–रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के वकील अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 29.01.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 03.06.2016 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तरकरण संख्या 677 ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

मालपुर तहसील भुसावर रैस्पो0 के हक में स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 677 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलबी की गई है। रैस्पो0 संख्या 1 व 2 के नोटिस तामील हो जाने के बावजूद भी अनुपस्थित है। रैस्पो0 संख्या 3 के वकील श्री खेमसिंह को कई बार आवाज लगवाई गई लेकिन वो उपस्थित नहीं आये। अतः वकील अपीलान्ट की एक तरफा में बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध एव तथ्य विरूद्ध है। आराजी मुतनाजा 150/1/5.14 वाकै ग्राम मालपुर तहसील भुसावर पर अपीलान्टान खातेदार काश्तकार काबिज है। इस भूखण्ड के 1/4 हिस्सा पर इन्द्राज खातेदारी उत्तरवादी संख्या 1 से 3 के नाम गलत चले आ रहे है जिनके आधार पर अवैध व अनाधिकृत विकय पत्र कराया गया है। तथाकथित विकय पत्र के तहत कोई हिस्सा आराजी का कब्जा कथित विकय पत्र द्वारा कथित केता को नहीं दिया गया है केता पक्ष बाहरी है इसलिये विशिष्ट भू भाग पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार अपीलार्थी को नहीं है इस बिना कब्जे काश्त के खण्डनाधीन आदेश देने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। उन्होने यह भी जाहिर किया है कि नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित प्राधिकारी का कब्जे के हस्तान्तरण होने के सम्बन्धमे मौके की जांच करनी चाहिये तत्पश्चात ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया जा सकता है इस मामले मे केता पक्ष को किसी भू-भाग का कब्जा हस्तान्तरण मौके पर नहीं है। अपीलान्टान ने विवादित आराजी के सम्बन्ध मे अन्य आराजी सहित एक राजस्व वाद भी सक्षम न्यायालय मे दायर किया हुआ है जिसमे मौका व रिकार्ड की स्थिति अपीलान्टान के हक मे कायम रखे जाने का आदेश भी दिया हुआ है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि तथाकथित विकय पत्र दिनांक 01.06.2016 को निरस्त किये जाने हेतु एक सिविल वाद भी उत्तरवादीगण के विरूद्ध न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वैर सक्ष दायर किया हुआ है इसलिये उक्त विकय पत्र के आधार पर कोई प्रविष्टिया करना कतई न्याय संगत नही है। मौके पर अपीलान्टान का वास्तविक कब्जा है एक टयूबवैल लगा है, घूडे पडे है उनके मकान बने है इस प्रकार उत्तरवादी को विवादित आराजी पर कोई अधिकार प्राप्त नही है। उन्होने यह भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

जाहिर किया कि पहले यह प्रकरण ग्राम पंचायत के समक्ष रखना चाहिये था उसके 30 दिवस की अवधि पश्चात ही तहसीलदार को सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 677 दिनांक 03.06.2016 जो कि मुताविक रजिस्टर्ड विकय पत्र रैस्पो0 के नाम दिनांक 02.06.2016 खोला जाकर दिनांक 03.06.2016 को स्वीकार किया गया है। जहां तक विवादित आराजी के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन होने का प्रश्न है, पत्रावली में उपलब्ध नकल आर्डसीट दिनांक 06.06.2016 उनवानी बोदया बनाम हरिओम वगैरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर से अपीलान्टान द्वारा दिनांक 06.06.2016 को वाद प्रस्तुत करने का तथ्य स्पष्ट होता है जो कि नामान्तरकरण स्वीकार करने की दिनांक के बाद की है। चूंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 677 ग्राम मालपुर रजिस्टर्ड बयनामें के आधार पर खोगा गया है जिसमें केता व विकेता के मध्य कब्जा संभलवाना अंकित है। लिहाजा बिना कब्जे के नामान्तरकरण किये जाने की दलील स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 677 में कोई विधिक त्रुटि हम नहीं पाते है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी रहती है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)